

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली

राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का कार्यालय *ऑडिट दिवस* मनाने हेतु द्वितीय राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।

निबंध प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के युवाओं को भारत की सीएजी संस्था के बारे में जागरूक करना और सार्वजनिक जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी के योगदान को आंकना है। यह प्रतियोगिता युवाओं को अपनी रचनात्मकता और उन तरीकों की अभिव्यक्ति का उपयोग करने का अवसर भी देगी जिनमें सीएजी की संस्था सुशासन में योगदान दे सकती है।

2. वर्ष 2023 के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता के लिए विषय “**भारतीय लोकतंत्र के लचीलापन तथा सीएजी की भूमिका का यशोगान**” है:

प्रतिभागी अपना निबंध **हिन्दी** अथवा **अँग्रेजी** में प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. निबंधों का अँग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को निम्नानुसार नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा:

प्रथम पुरस्कार: ₹30,000/-

द्वितीय पुरस्कार: ₹20,000/-

तृतीय पुरस्कार: ₹15,000/-

4. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क/पंजीकरण नहीं है।

5. निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

5.1. पात्रता:

5.1.1. ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता उन सभी व्यक्तियों के लिए खुली है जो भारत में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम में **वर्तमान में नामांकित** हैं।

5.1.2. प्रतिभागी की आयु 20 जुलाई 2023 को 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.1.3. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

5.1.4. प्रत्येक प्रतिभागी से केवल एक प्रविष्टि पर विचार किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि एक प्रतिभागी ने एक से अधिक प्रविष्टियां प्रस्तुत की हैं, तो सभी प्रविष्टियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5.2. निबंध की शब्द सीमा:

5.2.1. निबंध की शब्द सीमा 1500 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3. भाषा और प्रस्तुति:

5.3.1. निबंध या तो हिंदी या अंग्रेजी में लिखा जाए।

5.3.2. हिंदी में निबंध को मंगल एवं अंग्रेजी में कैलिब्री फॉन्ट का उपयोग करके ए-4 आकार के एमएस वर्ड दस्तावेज़ में टंकित किया जाना चाहिए, जिसका आकार, 1.5" अंतराल के साथ 12 हो।

5.3.3. निबंध में मूल सोच और प्रस्तुतिकरण प्रतिबिंबित होना चाहिए। मौलिक या दिशानिर्देशों के अनुरूप न होने पर प्रतिभागी को अयोग्य करार दिया जाएगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिभागियों द्वारा किए गए कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा के उल्लंघन हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।

5.4. प्रस्तुतीकरण की विधि:

5.4.1. प्रतिभागियों को एक ई-मेल में **छः दस्तावेज ऑनलाइन संलग्न कर के ई-मेल essay2023@cag.gov.in** के माध्यम से जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों का विवरण पैरा 5.4.1.1. से 5.4.1.5. के अंतर्गत दिया गया है। ई-मेल का विषय "सीएजी की राष्ट्रीय ऑनलाईन निबंध लेखन प्रतियोगिता" लिखा जाए।

5.4.1.1. प्रतिभागियों को निबंध **एम एस वर्ड डॉकएक्स-** कैलिब्री (अंग्रेजी)/मंगल (हिंदी) **और पीडीएफ प्रारूप** में भेजना चाहिए। .docx और .pdf दोनों फाइलों का नाम प्रतिभागी की ई-मेल आईडी (डोमेन नाम को छोड़कर) होना चाहिए, जिसके बाद उस भाषा (अंग्रेजी/हिंदी)¹ का उल्लेख हो जिसमें निबंध लिखा गया है। डाक द्वारा भेजे गए निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा। निबंध की विषयवस्तु में कहीं भी प्रतिभागी के नाम/ईमेल या अन्य व्यक्तिगत विवरणों का उल्लेख करने पर उसे अयोग्य ठहराया जाएगा।

5.4.1.2. प्रतिभागी की जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो। जेपीजी/जेपीईजी दस्तावेज़ का नाम प्रतिभागी की ई-मेल आईडी (डोमेन नाम को छोड़कर) हो, जिसके बाद 'फोटो'² होनी चाहिए।

¹ उदाहरण के लिए, यदि ई-मेल आईडी abc_123@gmail.com है और निबंध अंग्रेजी में लिखा गया है, तो दस्तावेज़ का नाम 'abc_123-english' होना चाहिए।

² उदाहरण के लिए, यदि ई-मेल आईडी abc_123@gmail है, तो जेपीजी/जेपीईजी चित्र का नाम 'abc_123-photo' होना चाहिए।

5.4.1.3. जन्म तिथि का प्रमाण दर्शाने वाला स्कैन किया गया पीडीएफ दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 10 वीं या समकक्ष अंकपत्र। दस्तावेज़ का नाम प्रतिभागी की ई-मेल आईडी (डोमेन नाम को छोड़कर) हो, जिसके बाद '-जन्म तिथि'³ होनी चाहिए।

5.4.1.4. विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में छात्र के नामांकन का प्रमाण दर्शाने वाली छात्र आईडी का स्कैन किया गया पीडीएफ दस्तावेज़। दस्तावेज़ का नाम प्रतिभागी की ई-मेल आईडी (डोमेन नाम को छोड़कर) हो, जिसके बाद '-आईडी'⁴ होनी चाहिए।

5.4.1.5. एक अलग पीडीएफ दस्तावेज़ में एक प्रोफ़ाइल शीट जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हों।

नाम (श्री/सुश्री):

पिता/कानूनी संरक्षक का नाम:

जन्मतिथि:

20.07.2023 को आयु:

शैक्षणिक योग्यता:

अध्ययनरत विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान का नाम:

नामांकित पाठ्यक्रम का नाम:

नामांकन का वर्ष:

अध्ययन की अवधि: (वर्ष) से (वर्ष) तक

पत्राचार का पता:

मोबाइल नंबर:

³ उदाहरण के लिए, यदि ई-मेल आईडी abc_123@gmail है, तो दस्तावेज़ का नाम 'abc_123-dob' होना चाहिए।

⁴ उदाहरण के लिए, यदि ई-मेल आईडी abc_123@gmail है, तो दस्तावेज़ का नाम 'abc_123-id' होना चाहिए।

पीडीएफ दस्तावेज़ का नाम ई-मेल आईडी (डोमेन नाम को छोड़कर) हो जिसके बाद 'प्रोफाइल'⁵ हो।

5.4.2. उपर्युक्त दस्तावेज़ों में से किसी एक के भी उपलब्ध कराने में विफल रहने पर प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5.5 . प्रस्तुत करने की अवधि:

5.5.1 . निबंध 21 जुलाई 2023 प्रातः 10:00 बजे से 20 अगस्त 2023 सांयः 17:00 बजे तक किसी भी तारीख को ई-मेल किए जाएं। इस अवधि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.6 . मूल्यांकन मानदंड:

5.6.1 .निबंधों के मूल्यांकन के लिए मानदंड होंगे:

- विचारों की मौलिकता और ज्ञान की गहराई
- स्पष्ट व्याख्या एवं तर्क की गुणवत्ता
- आलोचनात्मक विश्लेषण
- स्वरूप और लेखन शैली

5.7 . प्रविष्टियों का मूल्यांकन:

5.7.1 . प्रत्येक भाषा के तीन सर्वोत्तम निबंधों को पुरस्कृत किया जाएगा जिसका उल्लेख पैरा 3 में किया गया है जो योजना में उल्लिखित शर्तों के विषयाधीन होगा।

5.7.2 . मूल्यांकन समिति का निर्णय सभी प्रतिभागियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.8 . परिणाम की घोषणा:

5.8.1 . परिणाम 27 अक्टूबर 2023 तक सीएजी की वेबसाइट www.cag.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।

⁵ उदाहरणार्थ यदि ई-मेल आईडी abc_123@gmail है तो दस्तावेज़ का नाम 'abc_123-profile' होगा।

5.9 . विजेताओं के लिए पुरस्कार:

5.9.1 . इन पुरस्कारों को 15 नवंबर 2023 को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को अलग से विवरण भेजा जाएगा।

5.9.2. प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताओं को ई-मेल द्वारा प्रतियोगिता परिणाम की सूचना दी जाएगी। 10 दिनों तक पुरस्कार विजेता से संपर्क करने का उचित प्रयास किया जाएगा; यदि विजेता इस समय-सीमा के भीतर हमारे संपर्क प्रयासों पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं, तो हमारे पास उस प्रतिभागी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार होगा और पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया अगले पात्र प्रतिभागी पर प्रारम्भ की जाएगी जो तब तक चलेगी जब तक अंतिम विजेता प्राप्त न हो जाए।

5.9.3. प्रतियोगिता के दिशानिर्देशों का पालन करने वाली पात्र प्रविष्टियां जमा करने वाले सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रारूप में भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

5.10. सामान्य:

5.10.1. यदि कोई प्रविष्टि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उस प्रतिभागी को कोई सूचना या स्पष्टीकरण दिए बिना मूल्यांकन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।

5.10.2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास प्रतियोगिता प्रविष्टियों की प्रतिलिपि बनाने, संग्रह करने, संपादित करने, वितरित करने, प्रसारित करने और प्रकाशित करने के लिए एक विशेष, रॉयल्टी मुक्त, स्थायी और अपरिवर्तनीय लाइसेंस होगा।

- 5.10.3.** हम प्रतियोगिता और पुरस्कारों से संबंधित प्रचार गतिविधियां कर सकते हैं।
विजेता किसी भी पुरस्कार-विजेता प्रचार गतिविधि में अपने नाम, फोटो और निवास के क्षेत्र के प्रकटीकरण के उपयोग के लिए सहमत होंगे।
- 5.10.4.** इस प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी विवाद या किसी भी मुद्दे का निर्णय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा जो अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 5.10.5.** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक बिना किसी सार्वजनिक सूचना के किसी भी समय प्रतियोगिता/या दिशानिर्देशों/मूल्यांकन मानदंड आदि के सभी या किसी भाग को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
